



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100


वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक-प. 02 () सम्बद्धता/बी.ओ.आई./2018-19/2103

दिनांक-06/10/2018

कार्यालय-आदेश

आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-4 () आकाशि/नि. सं./2010/635 दिनांक 29.08.2018 के द्वारा जे.एम पब्लिक स्कूल समिति, बुहाना, झुन्झुनू द्वारा संचालित जे.एम. कन्या महाविद्यालय बुहाना, झुन्झुनू को सत्र 2010-11 से आदेश क्रमांक एफ-4 (277)आकाशि/अनु./10/323 दिनांक 30.04.2010 के द्वारा जारी किया गया अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता सत्र 2018-19 से तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। इस विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु जमा कराया गया शुल्क वापिस देय नहीं होगा।



कुलसचिव

क्रमांक-प. 02 () सम्बद्धता/बी.ओ.आई./2018-19/2103

दिनांक-06/10/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. वित्त नियंत्रक।
5. सचिव/प्राचार्य, जे.एम. कन्या महाविद्यालय बुहाना, झुन्झुनू।
6. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 () आकाशि/नि.सं./2010/ 635

दिनांक:- 29/08/18

अतिरिक्त सचिव
30/9/18

आदेश
1319



जे.एम. पब्लिक स्कूल समिति, बुहाना, झुन्झुनू द्वारा संचालित जे.एम. कन्या महाविद्यालय, बुहाना, झुन्झुनू को सत्र 2010-11 से इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ4 (277)आकाशि/अनु./10/323, दिनांक 30.04.2010 द्वारा जारी किया गया अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

“संस्था को पुनर्भुगतान नहीं किया जायेगा तथा राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगी”

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू ।
4. कुल सचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ।
5. सचिव, प्रबंध समिति, जे.एम. पब्लिक स्कूल समिति, बुहाना, झुन्झुनू ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100


वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

कमाक-प. 02 () सम्बद्धता/बी.ओ.आई./2018-19/2101

दिनांक- 06-10-2018

कार्यालय-आदेश

आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक एफ-4 (486) आकाशि/नि.सं./2011/1385 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा हिन्द एज्यूकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी, वार्ड नं. 43, झुन्झुनू द्वारा संचालित ज्ञानकुंज महाविद्यालय, लाडुन्दा, तह. चिड़ावा, झुन्झुनू को सत्र 2011-12 से आदेश कमांक एफ-4 (76) लेखा/आकाशि/अनु./2011/2377 दिनांक 03.12.2010 के द्वारा जारी किया गया अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा बिना अनुमति के स्थान परिवर्तन व अन्य अनियमितताओं के आधार पर सत्र 2019-20 में प्रथम वर्ष प्रवेश निषेध, 2020-21 में प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रवेश निषेध तथा 2021-22 से महाविद्यालय संचालन पूर्णतया बंद कर निरस्त किया गया है। आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के उक्त आदेश के आधार पर महाविद्यालय की सम्बद्धता सत्र 2019-20 में प्रथम वर्ष प्रवेश निषेध, 2020-21 में प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रवेश निषेध के साथ सत्र 2021-22 से निरस्त की जाती है। इस विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु जमा कराया गया शुल्क वापिस देय नहीं होगा।



कुलसचिव

कमाक-प. 02 () सम्बद्धता/बी.ओ.आई./2018-19/2101

दिनांक- 06-10-2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. वित्त नियंत्रक।
5. सचिव/प्राचार्य, ज्ञानकुंज महाविद्यालय, लाडुन्दा, तह. चिड़ावा, झुन्झुनू।
6. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव

Affiliation आवश्यक कार्यवाही कर्तव्य

F/1

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा


27-9-18

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (486) आकाशि/नि.सं./2011/1385

दिनांक: 12/09/18

आदेश



हिन्द एज्यूकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी, वार्ड नं. 43, झुन्झुनू द्वारा संचालित ज्ञानकुंज महाविद्यालय, लाडुन्दा, तह. चिड़ावा, झुन्झुनू को सत्र 2011-12 से इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ4 (76)लेखा/आकाशि/अनु./2011/2377, दिनांक 03.12.2010 के द्वारा जारी किया गया अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा बिना अनुमति के स्थान परिवर्तन व अन्य अनियमितताओं के आधार पर सत्र 2019-20 में प्रथम प्रवेश निषेध, 2020-21 में प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रवेश निषेध तथा 2021-22 से महाविद्यालय संचालन पूर्णतया बंद कर निरस्त किया जाता है।

“संस्था को पुनर्भुगतान नहीं किया जायेगा तथा राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगी”

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू ।
4. कुल सचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ।
5. सचिव, प्रबंध समिति, हिन्द एज्यूकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी, वार्ड नं. 43, झुन्झुनू ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100


वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक-प. 02 () सम्बद्धता/बी.ओ.आई./2018-19/2104

दिनांक- 06/10/2018

कार्यालय-आदेश

आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-4 (65) आकाशि/नि.सं./2007/669 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा सतगुरु शिक्षण संस्थान, पचेरी कलां, तह. बुहाना, झुन्झुनू द्वारा संचालित सतगुरु शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, सिंघाना, तह. बुहाना, झुन्झुनू को सत्र 2007-08 से आदेश क्रमांक एफ-4 (23)/लेखा/आकाशि/अनु./07/2046 दिनांक 12.06.2007 के द्वारा जारी किया गया अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता सत्र 2018-19 से तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। इस विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु जमा कराया गया शुल्क वापिस देय नहीं होगा।



कुलसचिव

क्रमांक-प. 02 () सम्बद्धता/बी.ओ.आई./2018-19/2104

दिनांक- 06.10.2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. वित्त नियंत्रक।
5. सचिव/प्राचार्य, सतगुरु शिक्षण संस्थान, पचेरी कलां, तह. बुहाना, झुन्झुनू।
6. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव


Affiliation

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (65) आकाशि/नि.सं./2007/669

दिनांक 22/09/18

आदेश



सतगुरु शिक्षण संस्थान, पचेरी कलां, तह. बुहाना, झुन्झुनू द्वारा संचालित सतगुरु शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, सिंघाना, तह. बुहाना, झुन्झुनू को सत्र 2007-08 से इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु./07/2046, दिनांक 12.06.2007 के द्वारा जारी किया गया अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

"संस्था को पुनर्भुगतान नहीं किया जायेगा तथा राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगी"

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।
4. कुल सचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. सचिव, प्रबंध समिति, सतगुरु शिक्षण संस्थान, पचेरी कलां, तह. बुहाना, झुन्झुनू।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

निरा
संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100


वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक-प. 02 () सम्बद्धता/बी.ओ.आई./2018-19/2102

दिनांक- 06-10-2018

कार्यालय-आदेश

आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-4 () आकाशि/नि. सं./2011/671 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान, दांता, सीकर द्वारा संचालित संस्कार बालिका महाविद्यालय, दांता, सीकर को सत्र 2011-12 से आदेश क्रमांक एफ-4 (37)आकाशि/अनु./2011/2509 दिनांक 27.12.2010 के द्वारा जारी किया गया अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2018-19 में मात्र तृतीय वर्ष संचालन की अनुमति के साथ, सत्र 2019-20 से निरस्त किया गया है। आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के उक्त आदेश के आधार पर महाविद्यालय की सम्बद्धता सत्र 2018-19 में मात्र तृतीय वर्ष संचालन की अनुमति के साथ, सत्र 2019-20 से निरस्त की जाती है। इस विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु जमा कराया गया शुल्क वापिस देय नहीं होगा।



कुलसचिव

क्रमांक-प. 02 () सम्बद्धता/बी.ओ.आई./2018-19/2102

दिनांक- 06-10-2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. वित्त नियंत्रक।
5. सचिव/प्राचार्य, संस्कार बालिका महाविद्यालय, दांता, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव

Affixation

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 () आकाशि/नि.सं./2011/ 671

15070

दिनांक:- 26/09/18

5/10/18

आदेश

रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान, दांता, सीकर द्वारा संचालित संस्कार बालिका महाविद्यालय, दांता, सीकर को सत्र 2011-12 से इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ4 (37)आकाशि/अनु./2011/2509, दिनांक 27.12.2010 के द्वारा जारी किया गया अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2018-19 में मात्र तृतीय वर्ष संचालन की अनुमति के साथ, सत्र 2019-20 से निरस्त किया जाता है।

“संस्था को पुनर्भुगतान नहीं किया जायेगा तथा राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगी”

26/9
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, सीकर ।
4. कुल सचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ।
5. सचिव, प्रबंध समिति, रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान, दांता, सीकर ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर